कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालोद (छ.ग.)

क्रं./ 1920 /जि.पं./MGNREGA/2017–18 बालोद दि. 12.जून 2017

Expression of Interest (EOI)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, बालोद के विज्ञापन प्रारूप क्रमांक/1097 दिनांक 11.05.2017 के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जिला पंचायत बालोद, जनपद पंचायत एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों के MGNREGA योजनाओं के लेखाओं का वित्तीय वर्ष 2016–17 का वित्तीय अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा निर्धारित पैनल सूची में सम्मिलित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से दिनांक 22.05.2017 तक Expression of Interest (EOI) आमंत्रित किया गया था जिसे तकनीकी कारणों के कारण निरस्त करते हुए दिनांक 19/06/2017 सायं 05.30 बजे तक पुनः Short Expression of Interest (EOI) आमंत्रित किये जाते है।

अंकेक्षण हेतु राज्य शासन से प्राप्त न्यूनतम अंकेक्षण शुल्क निम्नानुसार हैः–

जिला कार्यालय अंकेक्षण दर	प्रति जनपद कार्यालय अंकेक्षण दर	प्रति क्रियान्वयन एजेंसी अंकेक्षण दर
3500	1600	1500

विस्तृत जानकारी जैसे–न्यूनतम योग्यता, नियम–शर्ते एवं आवेदन प्रारूप जिले के **website www.balod.gov.in** पर डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। प्रत्येक आवेदन के लिए राशि रू. 1000.00 का आवेदन शुल्क डी.डी. के माध्यम से तथा राशि रू. 10000.00 का **FDR** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालोद के पक्ष में देय हो आवेदन के साथ संलग्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तभी आवेदन स्वीकार होगें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बालोद

—: नियम एवं शर्तेः—

1. वर्ष 2016—17 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ऑडिट कार्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (संस्था) के पास उपलब्ध क्षमता एवं भौतिक संसाधनों के आधार पर कार्य पर सौंपा जायेगा।
2. ग्राम पंचायतों के ऑडिट हेतु विकासखण्डवार अथवा ग्राम पंचायतों की संख्या निर्धारित करते हुए प्रति ग्राम पंचायतों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।
3. बालोद जिले के अंतर्गत जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं अन्य कार्य एजेंसियों का भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 जून 2011 की अधिसूचना "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत योजना" का वित्तीय अंकेक्षण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित पेनल—सूची में सम्मिलित (CAG Empanelled) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जाना है।
4. ऐसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जिनका कार्य अनुभव कम से कम 5 वर्ष है तथा जो छत्तीसगढ़ महालेखाकार द्वारा Empanelled हो उन्हे ही कार्य दिया जाना है। अतः यह न्यूनतम योग्यता के रूप में है।
5. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा (CAG Empanelled) वर्ष 2013—14 की अनुसूची में शामिल होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को प्रस्ताव स्वीकृति उपरांत अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।
7. अनुबंध में निर्धारित समय अवधि के अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा, अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त नही होने कर स्थिति मे अनुबंध और ऑडिट कार्य निरस्त किया जायेगा।
8. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्रों में ही तैयार कर प्रस्तुत करना होगा।
9. निविदा Form का दर 1000 रूपये निर्धारित है। आवेदन के साथ राशि रू. 1000.00 का आवेदन शुल्क डीडी के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।
10. योजना के अंकेक्षण हेतु TOR (Term of refrence) एवं SOW (Scope of Work) से जानकारी expression of interest बुलाते समय firm को प्रदान किया जावें।
11. निविदाकर्ता फर्म को आवेदन के साथ 10 हजार रूपये FDR के रूप मे जमा किया जावें।
12. जिला पंचायत के ऑडिट कार्य में वित्तीय वर्ष 2016—17 के अंकेक्षण रिपोर्ट जो जिला पंचायत स्तर, जनपद पंचायत स्तर एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसी स्तर के अंकेक्षकों से प्राप्त की गई रिपोर्ट को समेकित कर समस्त ऑडिट कार्य संबंधित कार्यालय में सम्पादित करना होगा। एक प्रथम संक्षिप्त रिर्पोट जिला स्तर पर संकलित करना होगा।
13. ऑडिट कार्य 15 जून 2017 के पूर्व पूर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदान की जाने वाली राशि में से प्रति सप्ताह 02 प्रतिशत की राशि कटौती की जावेगी।
14. अंकेक्षण रिपोर्ट 03—03 प्रतियों में जिला पंचायत, बालोद में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में मोहरबंद लिफाफे से प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से निर्धारित MGNREGA योजनांतर्गत 2016—17 के अंकेक्षण हेतु प्रस्ताव लिखना होगा। तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव पृथक—पृथक निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा, खुले प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेगें। आवेदन टाइप/लिखित होना चाहिए तथा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

16. निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावो पर कोई विचार नही किया जायेगा।
17. गुणवत्ता एवं मूल्य आधारित चयन के आधार पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन किया जायेगा।
18. समस्त ऑडिट कार्य संबंधित कार्यालय में सम्पादित करना होगा।
19. समस्त मामलों में कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिला बालोद का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
20. expression of Interest को किसी भी समय/स्तर पर निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिला, बालोद का होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बालोद